



Neutral Citation No - 2026:AHC:29429-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2026 की 1600

सन्तोष कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बिजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, लोकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. सर्वप्रथम, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तथा याचिकाकर्ता के पक्ष में अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्य का खण्डन नहीं कर सके, किन्तु उन्होंने यह कथन किया कि वे इस रिट याचिका को अनागृहीत रखना चाहते हैं तथा इसे प्रत्याहृत करने की प्रार्थना करते हैं।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"